न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 06, मथुरा।

पी०ए० अपील सं० 02/2024

शकुन्ता देवी आदि बनाम अन्नपूर्णा देवी

<u>दिनांक–10.03.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 181 ग एवं आपत्ति प्रार्थनापत्र 185 ग पर सुना।

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 181 ग</u>

प्रार्थी/तरतीवी रैस्पोन्डेन्ट सं० 2 की ओर से प्रार्थनापत्र 181 ग इस आशय का दिया गया है कि उक्त पी०ए० अपील के अपीलाण्ट सख्या–2/1 द्वारा उक्त पी०ए० अपील के विचाराधीन होने की जानकारी अभी हाल ही में प्रार्थिया जब वृन्दावन आई हुई थी, प्रार्थिया को देते हुए उसकी एक प्रति प्रार्थिया को दी और उक्त पी०ए० अपील में दिनांक 24.02.2026 नियत होने की जानकारी प्रार्थिया को दी गई। प्रार्थिया द्वारा उक्त पी०ए० अपील को देखने से जानकारी में आया कि अपीलाण्ट संख्या 2 श्री मुरलीधर अग्रवाल जी की पुत्री को उक्त पी०ए० अपील मे अपीलाण्टस द्वारा तरतीवी रैस्पोन्डेन्ट सख्या 2 कायम किया है। उक्त पी०ए० अपील मे अपीलाण्ट सख्या 2 श्री मुरलीधर अग्रवाल जी के वारिस के तौर पर तरतीवी रैस्पोन्डेन्ट सख्या 2 भी उक्त पी०ए० अपील मे बतौर अपीलाण्ट कायम होकर अपने अधिकारों के सबंध में बहस/सुनवाई कराकर उक्त पी०ए० अपील को तय कराना चाहती है। चूंकि प्रार्थिया पूर्व में भी सम्बधित पी०ए० वाद मे विपक्षी सख्या–2/5 कायम हुई और मुकदमे में अपने अधिवक्ता के माध्यम से बहस भी कराई गई थी, परन्तु अपीलाण्टस द्वारा पी०ए० अपील प्रस्तुत किये जाते समय प्रार्थिया को तरतीवी रैस्पोन्डेन्ट संख्या 2 कायम किया गया है और तरतीवी रैस्पोन्डेन्ट होने के कारण स्व० श्री मुरलीधर अग्रवाल जी के वारिस के तौर पर प्रार्थिया श्रीमती शिल्पी अग्रवाल को उक्त पी०ए० अपील मे अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्राप्त नही होने पर तरतीवी रैस्पोन्डेन्ट की अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थिया द्वारा जल्दी–जल्दी में यह प्रार्थनापत्र अपने अधिवक्ता से तैयार कराकर प्रस्तुत कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति मे तरतीवी रैस्पोन्डेन्ट सं० 2 को अधिकार स्वरूप अपना पक्ष रखने और उक्त पी०ए० अपील को लड़ने हेतु तरतीवी रैस्पोन्डेन्ट सं० 2 के स्थान पर अपीलाण्ट सं० 2/5 कायम/प्रतिस्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपीलाण्ट सं० 2 श्री मुरलीधर अग्रवाल के तरके पर काबिज तरतीवी रैस्पोन्डेन्ट सं० 2 को तरतीवी रैस्पोडेन्ट के स्थान पर बतौर अपीलाण्ट सं० 2/5 प्रतिस्थापित किये जाने की याचना की गयी है।

रैस्पोण्डेन्ट/आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र पर आपत्ति 185 ग प्रस्तुत करते हुए, कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र गलत आधार व गलत ब्यानात से दिया गया है जो काबिल कायमी नहीं है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र आदेश 23 जाप्ता दीवानी के किसी भी प्रावधान में नहीं आता है। तरतीवी रैस्पोण्डेन्ट सं० 2 मृतक किरायेदार की वारिस है, जो विवाहित पुत्री है और प्रश्नगत सम्पत्ति पर बतौर किरायेदार काबिज व दखील नहीं है, जिसे कानूनी अड़चनों को दृष्टिगत रखते हुए पक्ष कायम किया गया है तथा कानून में उनकी हैसियत सिर्फ Joint Tenant की अपीलाण्ट के साथ है और उसका कोई स्वतंत्र स्टेटस नहीं है, जो अपील में तरतीवी पक्षकार है जिसे पूरा–पूरा अधिकार अपील में बहस करने का है और उसे अपीलाण्ट बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिहाजा प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है। अपीलाण्ट व प्रार्थी तरतीवी रैस्पोण्डेन्ट के समान हित हैं, जिसे अपीलाण्ट देख रहे हैं तथा प्रार्थनापत्र उपरोक्त अपील को विलम्बित रखने की वजह से प्रस्तुत किया है जो कि विद्वेषपूर्ण है। अपीलाण्ट व तरतीवी प्रतिवादी आपस में साजिश करके प्रार्थनापत्र दिया गया है जो कतई सदभावी नहीं है। प्रार्थनापत्र समय सीमा से बाधित है तथा गलत प्राविधान के अन्तर्गत प्रस्तुत है जो कि कतई काबिल कायमी नहीं है। अतः रैस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2026.03.10 16:35:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय के समक्ष उक्त पी०ए० अपील सं० 02/2024 श्रीमती शकुंतला देवी आदि बनाम ठा० अन्नपूर्णा देवी आदि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पी०ए०वाद सं० 22/2014 ठा० अन्नपूर्णा देवी बनाम श्रीमती शकुंतला देवी आदि में पारित आदेश दिनांकित–04.11.2023 के विरूद्व योजित की गयी है, उक्त पी०ए० वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र धारा–21(1)(क) उ०प्र० शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियम) अधिनियम 1972 के अंतर्गत विवादित दुकान दो किता दुकानात स्थित अन्नपूर्णा देवी जी का मंदिर वाटर रेट नं० 189, गोपेश्वर रोड वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा जिसकी सीमाए पूरब में सम्पत्ति अन्नपूर्णा मंदिर वादहू गोपेश्वर मंदिर पश्चिमम में निकास दुकान व रास्ता आम, उत्तर में सम्पत्ति अन्नपूर्णा मंदिर वादहू रास्ता, दक्षिण में सम्पत्ति अन्नपूर्णा मंदिर को अपने पक्ष में अवमुक्त कराये जाने हेतु किया गया।

चूँकि प्रार्थी/तरतीवी रैस्पोन्डेन्ट सं० 2 द्वारा प्रार्थनापत्र के माध्यम से तरतीवी रैस्पोन्डेन्ट सं० 2 को अधिकार स्वरूप अपना पक्ष रखने और उक्त पी०ए० अपील को लड़ने हेतु तरतीवी रैस्पोन्डेन्ट सं० 2 के स्थान पर अपीलाण्ट सं० 2/5 कायम/प्रतिस्थापित किये जाने की याचना की गयी है तथा रेस्पोन्डेन्ट/आवेदक द्वारा आपत्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए, प्रार्थनापत्र में उठाये गये उक्त कथनों का खण्डन किया गया है। उक्त मामला रेन्ट कन्ट्रोल से संबंधित है, जिसमें नम्बर 3 पर परिवार के सदस्य को वाद में, प्रतिस्थापित किये जाने के संबंध में परिभाषित किया गया है।(क) किसी भवन के संबंध में, किरायेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके द्वारा उसका किराया देय हो और किरायेदार की मृत्यु पर,

[1] किसी आवासिक भवन की दशा में, उसके केवल ऐसे वारिसों से है, जो उसकी मृत्यु के समय भवन में उसके साथ सामान्यतया रहते थे,

(2) किसी अनावासिक भवन की दशा में, उसके वारिसों से है;

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो, विधिक प्रावधानों में परिवार की परिभाषा के अनुसार विवाहित पुत्री को किरायेदार के परिवार के सदस्य के रूप में स्वतः सम्मिलित नहीं माना गया है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा भी यह प्रतिपादित किया गया है कि विवाहित पुत्री का पृथक वैवाहिक गृह होने के कारण वह किरायेदार की परिवारिक इकाई का अंग नहीं मानी जाती। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी/तरतीवी रेस्पोन्डेन्ट सं० 2 का अपील में पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापन किये जाने का कोई वैधानिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/तरतीवी रेस्पोन्डेन्ट सं० 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 181 ग पर कोई बल न पाते हुए, निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 181 ग निरस्त किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति प्रार्थनापत्र 185 ग निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक ––––––– को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
न्यायालय संख्या 06, मथुरा